भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3809
24.03.2025 को उत्तर के लिए

आर्द्रभूमियों में अतिक्रमण रोकने के लिए कदम

3809. श्री एंटो एन्टोनी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश भर में प्राकृतिक आर्द्रभूमियों में अतिक्रमण और प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा शहरी नियोजन और अवसंरचना विकास नीतियों में आर्द्रभूमि संरक्षण को एकीकृत करने के लिए उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत चार दशकों के दौरान देश भर में प्राकृतिक आर्द्रभूमि का कुल क्षेत्रफल राज्यवार कितना नष्ट हुआ है;
(घ) देश में कितने रामसर स्थलों में आर्द्रभूमि क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है तथा घटे हुए क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;
(ङ) सरकारी पहल के अंतर्गत कितने प्रतिशत लुप्त आर्द्रभूमियों को पुनः स्थापित किया गया है; और
(च) मंत्रालय के अंतर्गत गत पांच वर्षों में आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है तथा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वर्तमान में केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत साझाकरण के आधार पर देश में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय 'जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए)' स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम में विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं, जैसे अपशिष्ट जल का अवरोधन, अपवर्तन और शोधन, तटरेखा संरक्षण,स्व-स्थाने सफाई अर्थात् गाद निकालना और खरपतवार निकालना, तूफानी जल प्रबंधन, जैव शोधन, जलग्रहण क्षेत्र शोधन, सर्वेक्षण और सीमांकन, जैव-बाड़ लगाना, मात्स्यिकी विकास, खरपतवार नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण, शिक्षा और जागरूकता सृजन, सामुदायिक भागीदारी आदि।

देश में आर्द्रभूमियों के अधिक प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श से आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 का अधिक्रमण करते हुए आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को अधिसूचित किया था। उक्त नियम, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, ठोस अपशिष्ट डंपिंग, उद्योगों, शहरों, कस्बों, गांवों और अन्य मानव बस्तियों से अशोधित अपशिष्ट और बहिःस्राव का निर्वहन जैसे गैर-आर्द्रभूमि उपयोगों हेतु आर्द्रभूमियों के परिवर्तन पर रोक लगाते हैं।

समय-समय पर यथासंशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अनुसार, देश के किसी भी भाग में शुरू की जाने वाली सभी नई/विस्तार परियोजनाओं और/या इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यकलापों के लिए परियोजना शुरू करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) लेना अपेक्षित है। आर्द्रभूमि संरक्षण सहित पर्यावरणीय प्रभाव और जोखिम आकलन का पूर्व आकलन तथा परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन में ऐसे विश्लेषण के परिणामों को घटक के रूप में शामिल करना, ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने का प्रमुख आधार है। पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया में विभिन्न चरणों में स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, सार्वजनिक परामर्श, मूल्यांकन, पर्यावरणीय स्वीकृति में शर्तों का निर्धारण तथा उनका अनुपालन एवं निगरानी जैसी कड़ी जांच शामिल होती है।

जीआईएस आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) को ' प्रोएक्टिव एंड रिस्पांसिव फेसिलिटेशन बाई इंटरैक्टिव, वर्च्यूअस एण्ड एन्वायर्नमेंटल सिंगल-विंडो हब' (परिवेश) द्वारा कार्यप्रवाह में एकीकृत किया गया है, जो सूचित निर्णय लेने और संधारणीय विकास के लिए पर्यावरण सुरक्षा उपायों की अनुशंसा में सहायता देने हेतु परियोजना स्थल (निकटता) के मूल्यांकन को एक व्यापक तकनीकी समाधान के रूप में कार्य करता है। इस प्रणाली में जैव विविधता संरक्षण और जल विज्ञान संबंधी विनियमन के लिए महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रामसर स्थलों जैसे पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में बहुस्तरीय भौगोलिक शामिल हैं।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2015 में अन्य बातों के साथ-साथ आर्द्रभूमि के महत्व और एकीकृत विकास योजनाओं में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, जल निकायों (आर्द्रभूमि) को शहरी भूमि उपयोग/भूमि आवरण अर्थात "अमृत शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान के निर्माण हेतु डिजाइन एवं मानक" के अंतर्गत वर्ग एवं उप-वर्ग, ज्यामिति, प्रतीक आदि के साथ परतवार भू-स्थानिक डेटा सामग्री के रूप में शामिल किया गया है।

(ग) से (ङ) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा तैयार वर्ष 2021 के राष्ट्रीय आर्द्रभूमि एटलस के अनुसार, वर्ष 2011 के एटलस की तुलना में देश भर में आर्द्रभूमि के कुल क्षेत्रफल में 0.72 मिलियन हेक्टेयर की वास्तविक वृद्धि हुई है। **राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आंकडे संलग्न है।** हालांकि, केन्द्रीय और राज्य सरकारें आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए हर संभव उपाय करती हैं, लेकिन विकासात्मक कार्यकलाप और मानवजनित दबाव आर्द्रभूमि को प्रभावित करते हैं।

(च) एनपीसीए स्कीम के तहत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश भर में 58 आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्से के रूप में 144.35 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

*****

अनुलग्नक

"आर्द्रभूमियों में अतिक्रमण रोकने के लिए कदम" के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 2025, दिन सोमवार को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3809 के भाग (ग) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2011 के राष्ट्रीय आर्द्रभूमि एटलस के अनुसार आर्द्रभूमियों का क्षेत्रफल (हे.) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार आर्द्रभूमियों का क्षेत्रफल	वर्ष 2021 के राष्ट्रीय आर्द्रभूमि एटलस के अनुसार आर्द्रभूमियों का क्षेत्रफल (हे.) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार आर्द्रभूमियों का क्षेत्रफल
1.	आंध्र प्रदेश	1447133	1141606
2.	अरुणाचल प्रदेश	155728	151104
3.	असम	764372	849078
4.	बिहार	403209	374766
5.	गोवा	337966	342443
6.	गुजरात	21337	24749
7.	गुजरात	3474950	3499429
8.	हरियाणा	42478	33649
9.	हिमाचल प्रदेश	98496	94011
10.	झारखंड	170051	187045
11.	कनार्टक	643576	787127
12.	केरल	160590	158336
13.	मध्य प्रदेश	818166	861736
14.	महाराष्ट्र	1014522	1152625
15.	मणिपुर	63616	67408
16.	मेघालय	29987	31002
17.	मिजोरम	13988	19476
18.	नगालैंड	21544	21118
19.	ओडिशा	690904	719942
20.	पंजाब	86283	47024
21.	राजस्थान	782314	778824
22.	सिक्किम	7477	7049
23.	तमिलनाडु	902534	925712
24.	तेलंगाना	उपलब्ध नहीं	566680
25.	त्रिपुरा	17542	18438
26.	उत्तर प्रदेश	1242530	1104562
27.	उत्तराखंड	103882	112882
28.	पश्चिम बंगााल	1107907	1130127
29.	अंडमान और निकोबार	152809	143238
30.	चंडीगढ़	350	336
31.	दादर नगर हवेली	2070	2063
32.	दमन और द्वीप	2068	2728
33.	दिल्ली	2771	2773
34.	जम्मू और कश्मीर	391501	164110
35.	लक्षद्वीप	79586	79716
36.	लदाख	उपलब्ध नहीं	373049
37.	पुदुचेरी	6335	5555
	कुल	**15260572**	**15981516**

*****